OFFICE OF
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
HARYANA

REGULATION No. 4 of 2024

Version 1 **Last updated on: 26th Jan., 2024**

Director General of Police, Haryana, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 50 of the Haryana Police Act, 2007 (No. 25 of 2008), hereby frames the following Regulation to regulate the procedure to be followed under section 41 and 41A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter Cr.P.C) in supersession of all previous Standing Order/Instructions issued in this behalf:

I. BACKGROUND

The Hon'ble Supreme Court of India has issued certain directions vide judgment dated 02.07.2014 passed in Criminal Appeal No. 1277 of 2014 titled as Arnesh Kumar v/s State of Bihar and Anr. regarding arrest, bail and summoning of accused persons. Further, the Hon'ble Supreme Court of India vide Judgment dated 11.07.2022 passed in case of Satender Kumar Antil Vs. CBI has also observed that there are no specific guidelines with respect to the mandatory compliance of Section 41A Cr.P.C. and directed the State Governments and U.T.s to facilitate instructions for the procedure to be followed under Section 41 and 41-A of Cr.P.C.

II. RELEVANT STATUTORY PROVISIONS

Section 41(1)(b) Cr.P.C provides for arrest by any police officer without an order from a Magistrate and without a warrant, of any person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a **term which may be less than seven years or which may extend to seven years,** whether with or without fine.

In all such cases, including the cases registered under Section 498-A of the Indian Penal Code, police officers will not automatically arrest the accused person(s), and they will first satisfy themselves about the necessity of arrest based on the parameters specified in Section 41(1) (b) (ii) of Cr.P.C. The police officer shall forward a checklist duly filled indicating the

reasons and materials which necessitated the arrest, while forwarding/producing the accused before the Magistrate for further detention. The format of the checklist is enclosed as **Annexure-A.**

It is hereby clarified that the above procedure is not required to be followed while making arrest of any person in the following cases/circumstances as laid down in Section 41(1) Cr.P.C:-

(1) If a person commits a cognizable offence in the presence of a police officer, irrespective of the quantum of sentence involved; or

(2) against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may extend to more than seven years whether with or without fine or with death sentence and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offence; or

(3) who has been proclaimed as an offender either under this Code or by order of the State Government; or

(4) in whose possession anything is found which may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offence with reference to such thing; or

(5) who obstructs a police officer while in the execution of his duty, or who has escaped, or attempts to escape, from lawful custody; or

(6) who is reasonably suspected of being a deserter from any of the Armed Forces of the Union; or

(7) who has been concerned in, or against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists, of his having been concerned in, any act committed at any place out of India which, if committed in India, would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition, or otherwise, liable to be apprehended or detained in custody in India; or

(8) who, being a released convict, commits a breach of any rule made under sub-section (5) of section 356; or

(9) for whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition.

However, in compliance of guidelines framed by the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh vide notification No. 159 Gaz. II (17) dated 22.09.2023, decision not to arrest an accused be forwarded to the Magistrate within two weeks from the date of the institution of the case with a copy to the Magistrate. This duration which may be extended by the Superintendent of Police of the district for the reasons to be recorded in writing.

Section 41A of Cr.P.C

Provisions of Section 41A of Cr.P.C are applicable in all cases where the arrest of a person is not required to be made, and the same is reproduced below: -

"(1) The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of sub-section (1) of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence, to appear before him or at such other place as may be specified in the notice.

(2) Where such a notice is issued to any person, it shall be the duty of that person to comply with the terms of the notice.

(3) Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice unless, for reasons to be recorded, the police officer is of the opinion that he ought to be arrested.

(4) Where such person, at any time, fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may, subject to such orders as may have been passed by a competent Court in this behalf, arrest him for the offence mentioned in the notice."

III. MODE OF SERVICE OF NOTICE U/S 41A Cr.P.C

If arrest of a person is not required u/s 41(1) Cr.P.C., the police officers will serve notice under Section 41A Cr.P.C. in the prescribed format, as far as practicable, in person or through Whatsapp, E-mail, SMS or any other electronic mode in case the person to be served is residing within the State and through any electronic mode in case the person to be served is residing out of State or abroad. Model form of notice under Section 41A Cr.P.C. is enclosed herewith as **Annexure-B.**

IV. ARREST OF PERSON AFTER SERVICE OF NOTICE U/S 41-A Cr.P.C.

Arrest of a person who has been served with notice u/s 41-A Cr.P.C can be made in two eventualities: -

(1) As per section 41-A(3), when the person complies with the notice, however at some stage, in the opinion of the police officer he ought to be arrested, the arrest of such person can be made after recording reasons.

(2) If the person fails to comply with terms of the notice or is unwilling to identify himself, his arrest can be made u/s 41 A (4) with permission of the competent Court.

Annexure-A

Check list under Section 41(1) (b) (ii) Cr. P.C, 1973.

Section 41(1) (b) Cr. P.C provides for arrest by any police officer without an order from a Magistrate and without a warrant, of any person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than seven years or which may extend to seven years whether with or without fine.

In view of the above, I______________________________ the Investigating Officer of case FIR No. __________ dated _________ under Section(s)______________________ Police Station__________________ is satisfied that arrest of ____ is necessary under Section 41(1) (b) (ii) Cr.P.C, for the reason(s) tick marked below: -

- ☐ To prevent such person from committing any further offence; or
- ☐ For proper investigation of the offence; or
- ☐ To prevent such person from causing the evidence of the offence to disappear or tempering with such evidence in any manner; or
- ☐ To prevent such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to the police officer; or
- ☐ As unless such person is arrested, his presence in the Court whenever required cannot be ensured.

Signature________________

Name__________________

Rank__________________

Annexure-B

Model Section 41A Cr.P.C Notice

Sr. No.______________
P.S.__________________
____

To,

[Name of Accused/Noticee]
[Last Known Address]
[Phone No./Email ID (if any)]

Notice under Section 41(A) Cr.P.C.

In exercise of the powers conferred under subsection (1) of section 41A of Cr.P.C. I hereby inform you that during the investigation of FIR/Case No. _______dated________________u/s__________________________________ registered at Police Station_________________________, it is revealed that there are reasonable grounds to question you to ascertain facts and circumstances from you, in relation to the present investigation. Hence, you are directed to appear before me at __________am/pm on ___________at______________________Police Station.

You are directed to comply with all and/or the following directions: -

a) You will not commit any offence in future.
b) You will not tamper with the evidences in the case in any manner whatsoever.
c) You will not make any threat, inducement or promise to any person acquainted with the fact of the case so as to dissuade him from disclosing, such facts to the court or to the police officer.
d) You will appear before the Court as and when required/directed.
e) You will join the investigation of the case as and when required and will cooperate in the investigation.
f) You will disclose all the facts truthfully without concealing any part relevant for the purpose of investigation to reach to the right conclusion of the case.
g) You will produce all relevant documents/material required for the purpose of investigation.

h) You will render your full co-operation/assistance in apprehension of the accomplice.

i) You will not allow in any manner destruction of any evidence relevant for the purpose of investigation/trial of the case.

j) Any other condition, which may be imposed by the Investigating Officer/SHO as per the facts of the case.

[Signature]
[Name and Designation]
[affix seal]

Endst. No. 1330-1430/GA-3 dated, Panchkula, the 26.01.2024

A copy is forwarded to the following for necessary action: -

1. Director General, Anti-Corruption Bureau, Haryana
2. Director, State Crime Record Bureau, Haryana
3. Director, FSL, Haryana, Madhuban, Karnal
4. Addl. Director General of Police, Cyber, Haryana
5. Addl. Director General of Police, HSNCB, Haryana
6. Addl. Director General of Police, Railways & Commando, Haryana
7. Addl. Director General of Police, CID, Haryana
8. Addl. Director General of Police, HSEnB, Haryana
9. Addl. Director General of Police, RTC, Bhondsi, Gurugram
10. Addl. Director General of Police, State Crime Branch, Haryana
11. Director, Haryana Police Academy, Madhuban, Karnal
12. All IPS Officers posted at PHQ.
13. All Range ADGPs / Inspectors General of Police, Haryana.
14. Inspector General of Police, IRB, Bhondsi, Gurugram
15. Inspector General of Police, Traffic & Highways, Karnal
16. Inspector General of Police, Telecom., Moginand, Panchkula.
17. Inspector General of Police, CPT&R, Bhondsi
18. Inspector General, HAP, Madhuban, Karnal
19. Deputy Inspector General of Police, Special Task Force, Haryana
20. Deputy Inspector General of Police, PTC, Sunaria
21. All Commissioners of Police in Haryana
22. All District Superintendents of Police in Haryana.
23. The Superintendent of Police, Commando, Newal, Karnal
24. The Superintendent of Police, Railways, Haryana, Ambala Cantt.
25. All Comdt., HAP, Bn. in Haryana
26. All Comdt., IRB, Bn. in Haryana
27. Comdt., HAP Durga 1st, Sunaria
28. All Legal officers posted in PHQ
29. PA to W/DGP, Haryana
30. All Assistants posted in the State Crime Branch, Haryana.

Superintendent (O)
GA Branch,
for Director General of Police, Haryana

कार्यालय,
पुलिस महानिदेशक, हरियाणा
विनियमन संख्या 04/2024

संस्करण 1

अंतिम अद्यतन किया गया 26 जनवरी, 2024

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का संख्या 25) की धारा 50 के खण्ड़ (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा द्वारा, इस सम्बन्ध में जारी सभी पूर्व स्थाई आदेश/निर्देशों के अधिक्रमण में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे, इसमें इसके बाद सी0आर0पी0सी0 के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 41 और 41–ए के अधीन पालना की जाने वाली प्रक्रिया विनियमित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाये जाते हैंः–

I पृष्ठ भूमि

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी, जमानत तथा सम्मन करने के सम्बन्ध में आपराधिक अपील संख्या 1277/2014 शीर्षक–अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एंव अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/07/2014 द्वारा कुछ विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के उच्चतम न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी0बी0आई0 के मामले में पारित निर्णय दिनांक 11/07/2022 द्वारा उल्लेखित किया है कि सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए का अनिवार्य पालन करने के बारे में कोई भी विशेष दिशा–निर्देश नहीं है तथा सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए के अधीन पालन की जाने वाली प्रक्रिया के निर्देश देने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों को निर्देशित किया है।

II सुसंगत वैधानिक प्रावधान

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1)(बी) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा वारंट के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उपबन्ध करती है जिसके विरूद्ध उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो, या उचित सन्देह विद्यमान हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो ।

ऐसे सभी मामलों में जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए के अधीन पंजीकृत अभियोग शामिल हैं, पुलिस अधिकारी आरोपी व्यक्ति (व्यक्तियों) को स्वचालित तरीके से गिरफ्तार नहीं करेंगे तथा वे सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1)(बी)(ii) में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में अपने आपको पहले सन्तुष्ट करेंगे। पुलिस अधिकारी आगामी हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को भेजते/पेश करते समय ऐसे कारण तथा सामग्री जिसकी वजह से गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई, इंगित करने वाली विधिवत भरी हुई चेक लिस्ट प्रेषित करेगा। चेक लिस्ट का प्रारुप अनुबन्ध–क के रूप में संलग्न है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त प्रक्रिया का सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1) के अनुसार निम्नलिखित मामलों/परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पालन करना अपेक्षित नहीं है।

(1) यदि कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है; भले ही उसमें सजा की मात्रा कितनी भी हो; या

(2) जिसके विरूद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया हो जो जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना सात वर्ष या उससे अधिक अवधि या मृत्यु दंड से दण्डनीय अपराध हो तथा पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर यह मानने का कारण है कि उक्त व्यक्ति ने ही यह अपराध किया है; या

(3) जो इस संहिता के तहत् या राज्य सरकार के आदेश द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है; या

(4) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिसके चुराई हुई संपति होने का उचित रूप से संदेह हो और जिस पर ऐसी चीज के सन्दर्भ में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है; या

(5) जो पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाता है या जो विधिक अभिरक्षा से भाग गया है, या भागने का प्रयत्न करता है; या

(6) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगोड़ा होने का उचित सन्देह है; या

(7) जो भारत के बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कृत्य के किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण सम्बन्धी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरूद्ध किए जाने का उत्तरदायी है, सम्बद्ध रह चुका है या जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित शिकायत की जा चुकी है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है; या

(8) जो दोषसिद्ध होने के बाद रिहा होते हुए भी धारा 356 की उप–धारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है; या

(9) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक प्रार्थना प्राप्त हो चुकी है, परन्तु यह है कि जब प्रार्थना में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का या अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्दिष्ट किया गया है और उससे यह दर्शित होता है कि प्रार्थना पत्र जारी

करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक रूप से गिरफ्तार किया जा सकता था।

फिर भी, यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा अधिसूचना संख्या 159 गजट II (17), दिनांक 22/09/2023 द्वारा बनाए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार किसी आरोपी को गिरफ्तार न करने के निर्णय बारे मजिस्ट्रेट को मामले के आरम्भ होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर उस मजिस्ट्रेट को प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए। इस अवधि को जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित में उल्लेखित कारणों से बढाया जा सकता है।

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए के उपबन्ध जो निम्नलिखित हें, ऐसे सभी मामलों में लागू हैं जहाँ किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना अपेक्षित नहीं हैः–

"(1) पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जिनमें धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है उस व्यक्ति को उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए हाजिर होने के लिए निर्देश देते हुए नोटिस जारी करेगा जिसके विरूद्ध इस बारे में उचित शिकायत की जा चुकी है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित सन्देह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है,

(2) जहाँ ऐसा नोटिस किसी व्यक्ति को जारी किया जाता है, वहाँ उस व्यक्ति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे।

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है तथा पालन करता रहता है वहाँ उसे नोटिस में उल्लेखित अपराध के सम्बन्ध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक उल्लेखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर पुलिस अधिकारी की यह राय नहीं हो की उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

(4) जहाँ ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, वहाँ पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, नोटिस में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।"

(III) सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए के अधीन नोटिस की तामील कराने का माध्यम

यदि सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1) के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, तो पुलिस अधिकारी निर्धारित प्रारुप में, यदि जिसे नोटिस तामिल किया जाना है वह राज्य के भीतर निवास करता है तो यथा संभव, व्यक्तिगत रूप में या व्हाट्स–ऐप, ई–मेल, एस0एम0एस0 के माध्यम से या किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक माध्यम से धारा 41–ए के तहत् नोटिस तामिल किया

जाएगा और यदि तामील किए जाने वाला व्यक्ति राज्य के बाहर या विदेश में निवास करता है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामिल किया जाएगा। नोटिस का मॉडल प्रपत्र अनुबन्ध–ख के रूप में संलग्न है।

(IV) **सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए के अधीन नोटिस की तामील के बाद व्यक्ति की गिरफ्तारी**

किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी जिसे सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए के अधीन नोटिस तामील किया जा चुका है निम्नलिखित दो परिस्थितियों में दी जा सकती है:–

(1) धारा 41–ए (3) के अनुसार यदि व्यक्ति नोटिस का पालन करता है, परन्तु पुलिस अधिकारी की राय में उसे गिरफ्तार करने को औचित्य है, तो वह केवल कारण उल्लिखित करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(2) यदि व्यक्ति नोटिस की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है, सक्षम न्यायालय की अनुमति से धारा 41–ए (4) के अधीन उसको गिरफ्तार कर सकता है।

अनुबन्ध– क

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1)(बी) (ii) के तहत् चेक लिस्ट।

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1)(बी) किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा वारंट के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का उपबन्ध करती है जिसके विरूद्ध उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो, या उचित सन्देह विद्यमान हो कि उसने ऐसा संज्ञेय अपराध किया है जो जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक की अवधि के कारावास से दण्डनीय हो ।

उपरोक्त के दृष्टिगत, मैं.. एफ.आई.आर. संख्या....................दिनांक......................................धारा (धाराएं).. .... के अधीन पुलिस थाना.............................के मामले का जांच अधिकारी सन्तुष्ट हूँ कि .... की गिरफ्तारी सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(1)(बी)(ii) के अधीन निम्न कारण (कारणों) जिस पर सही का निशान लगाया गया है के आधार पर आवश्यक है:–

☐ ऐसे व्यक्ति को कोई आगे अपराध करने से रोकने के लिए; या

☐ अपराध की उचित जांच के लिए; या

☐ ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य से छेड़छाड़ करने से रोकने; या

☐ ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित व्यक्ति को प्रलोभन देने, धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए रोका जा सके, से रोकने के लिए या;

☐ जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उस की उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

हस्ताक्षर.........................

नाम.................................

रैंक (पद)..........................

अनुबन्ध– ख

सी.आर.पी.सी. की धारा 41–ए के अधीन नोटिस का प्रारुप

क्रम संख्या..................

पुलिस थाना...............

सेवा में

[आरोपी / नोटिस पाने वाले का नाम]
[अन्तिम ज्ञात पता]
[फोन न0 / ई–मेल आई0डी0 (यदि कोई हो)]

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41(ए) के अधीन नोटिस

सी0आर0पी0सी0 की धारा 41–ए की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, इसके द्वारा, आपको सूचित करता हूँ कि धारा.. के अधीन पुलिस थाना .... में पंजीकृत एफ0आई0आर0 / अभियोग संख्या............................... ....दिनांक...के जांच के दौरान, यह प्रकट हुआ है कि वर्तमान जांच के सम्बन्ध में तथ्यों तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आपसे पूछताछ करने का उचित आधार हैं। इसलिए, आपको दिनांक ....को पुलिस थाना........................में...............................बजे प्रातः काल / सांयकाल मेरे सम्मुख उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाता है।

आपको सभी और / या निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है:–

(क) आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे।
(ख) आप किसी भी प्रकार की किसी भी रीति से मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
(ग) आप किसी व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, कोई धमकी नहीं देंगे, प्रलोभित नहीं करेंगे या उससे वायदा नहीं करेंगे जिससे उसे न्यायालय को या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके।
(घ) आप जब कभी अपेक्षित हो / निर्देशित किया जाए न्यायालय के समक्ष हाजिर होंगे।
(ड़) आप जब कभी अपेक्षित हो मामले की जांच में शामिल होंगे तथा जांच में सहयोग देंगे।
(च) आप मामले के सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच के प्रयोजन हेतु प्रासंगिक कोई भाग छिपाए बिना सच्चे रूप से सभी तथ्यों को प्रकट करेंगे
(छ) आप जांच के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी सुसंगत दस्तावेज / सामग्री प्रस्तुत करेंगे।
(ज) आप सह अपराधी की गिरफ्तारी में अपना पूरा सहयोग / सहायता देंगे।
(झ) आप मामले की जांच / ट्रायल के प्रयोजन के लिए सुसंगत किसी साक्ष्य का किसी रीति से नष्ट अनुमत नहीं करोगे।
(ञ) कोई अन्य शर्त जो मामले के तथ्यों के अनुसार जांच अधिकारी / एस0एच0ओ0 द्वारा लगाई जा सकती है।

[हस्ताक्षर]

[पद तथा नाम]

[मोहर लगाएं]

पृष्ठांकन संख्या 1330-1430/जी0ए0–3 26.01.2024

एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की जाती हैः–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा।
2. निदेशक, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, हरियाणा।
3. निदेशक, न्यायवैद्यिक विज्ञानप्रयोग शाला, मधुबन।
4. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साईबर, हरियाणा।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, हरियाणा।
6. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेलवे और कमांडो, हरियाणा।
7. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तचर विभाग, हरियाणा।
8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, हरियाणा राज्य प्रर्वतन ब्यूरो, हरियाणा।
9. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रिक्रुट प्रशिक्षण केन्द्र, भौण्डसी, गुरूग्राम।
10. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा, हरियाणा।
11. निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन, करनाल।
12. मुख्यालय में तैनात सभी अधिकारी।
13. सभी रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, हरियाणा।
14. पुलिस महानिरीक्षक, भारतीय रिजर्व बटालियन, भौण्डसी, गुरूग्राम।
15. पुलिस महानिरीक्षक, यातायात एवं राजमार्ग, करनाल।
16. पुलिस महानिरीक्षक, दूरसंचार, मोगीनंद, पंचकूला।
17. पुलिस महानिरीक्षक, सी.पी.टी.एंड आर. भौण्डसी।
18. महानिरीक्षक, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, मधुबन, करनाल।
19. उप पुलिस महानिरीक्षक, स्पेशल टास्क फोर्स, गुरूग्राम, हरियाणा।
20. उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, सुनारियां, रोहतक।
21. हरियाणा में सभी पुलिस आयुक्त।
22. हरियाणा में सभी जिला पुलिस अधीक्षक।
23. पुलिस अधीक्षक, कमाण्डो, नेवल, करनाल।
24. पुलिस अधीक्षक, रेलवे, हरियाणा, अंबाला कैंट।
25. सभी आदेशक, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, हरियाणा।
26. सभी आदेशक, भारतीय रिजर्व बटालियन, हरियाणा।
27. आदेशक, हरियाणा सशस्त्र पुलिस, दुर्गा प्रथम, सुनारियां।
28. मुख्यालय में तैनात सभी विधि अधिकारी।
29. निजी सहायक, पुलिस महानिदेशक, हरियाणा।
30. राज्य अपराध शाखा, हरियाणा में तैनात सभी सहायक।

अधीक्षक
जी.ए. शाखा,
पुलिस महानिदेशक, हरियाणा